विधान परिषद के प्रथम सत्र-2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य विधान परिषद द्वारा पूंछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-9 का उत्तर:-

प्रश्न		उत्तर
9(क)- क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि प्रदेश के वित्तविहीन माध्यमिक शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाकर उन्हें उचित मानदेय देने पर विचार करेंगे?		जी नहीं।
(ख)यदि हाँ, तो कब तक?		प्रश्न नहीं उठता।
(ग)यदि नहीं, तो क्यों?		शासनादेश संख्या-ई0एम-1443/15-7-2001-1(191)/2000 दिनांक 10-08-2001 द्वारा वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों के संबंध में नियमावली निर्मित की गयी है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-6 में परिलब्धियों के संबंध में निम्नवत् उल्लिखित है:- "आंशकालिक अध्यापकों को प्रबन्धतंत्र अपने स्रोतों से परिलब्धियों का भुगतान करेगा और यह भुगतान सम्पूर्ण शिक्षण सत्र के लिये नियमित रुप से किया जायेगा, जिसका लेखा-जोखा रखा जायेगा। अंशकालिक अध्यापकों की परिलब्धिया न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबन्धों में कुशल श्रमिक हेतु मजदूरी की व्याख्या के अनुसार समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं से निर्धारित मजदूरी से कम नहीं होगी। प्रबन्धतंत्र ऐसे अंशकालिक अध्यापकों के लिए यथाविधि भविष्य निधि तथा जीवन बीमा की योजनाए लागू करेगा, जिनमें नियोजक का अंशदान प्रबन्धतंत्र द्वारा अपने निजी स्त्रोतों से दिया जायेगा।

(गुलाब देवी)
माध्यमिक शिक्षा मंत्री।

Qvsa